

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रपत्र-6

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	अजय पाल अतिरिक्त ब्लॉक प्रा० शिक्षा अधिकारी, बानसूर, अलवर	समाजशास्त्र	02.07.56	31.07.16

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(बी.एल. स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 03/06/16

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/सेवानिवृत्त/2016/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 संयुक्त निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
- 2 उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, अलवर
- 3 उप निदेशक (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग, जयपुर
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) अलवर
- 5 अजय पाल, अतिरिक्त ब्लॉक प्रा० शिक्षा अधिकारी, बानसूर, अलवर
- 6 ब्लॉक प्रा० शिक्षा अधिकारी, बानसूर, अलवर
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर